# बाग़ों में फलों के क्रय-विक्रय

इस्लामिक फ़िक्ह एकेडमी इण्डिया के उन्तीसवें फ़िक्ही सेमीनार का आयोजन 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0 के विषयों में से एक महत्त्वपूर्ण विषय ''बाग़ों में फलों के क्रय-विक्रय'' का है, इस विषय पर प्राप्त होने वाले समस्त लेखों, फिर तैयार होने वाले वर्तमान मुद्दों और इस पर होने वाले प्रस्तावों के प्रकाश में निम्नलिखित प्रस्ताव पूरे किये गयेः

1- बाग़ के फल को साल दो साल या इस से अधिक अवधि के लिए पहले ही बेचने को ''बेअ मुआवमा'' और ''बैअ सीनीन'' कहा जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअ मुआवमा और बैअ सीनीन से मना किया है।

अर्थात इस तरह का क्रय विक्रय उचित नहीं है।

2- पेड़ पर फल न निकला हो तो यह अनुबन्धन उचित नहीं है।

3- पेड़ पर फल दिखाई देने लगा हो तो यह अनुबन्धन उचित है।

4- पेड़ पर मोजर (फूल) आ चुके हों तो इसकी बैअ (समझौता) भी उचित है।

5- फुलवारी के अक्सर पेड़ों पर फल आ गये हों तो समस्त पेड़ों के फलों का अनुबन्धन उचित है।

6- दफ़ा न0 3, 4, 5 में अगर आपसी रज़ामंदी से फल पकने तक छोड़े रखे तो भी वह फल ख़रीदार के लिए वैध है।

7- भूमि के बग़ैर सिर्फ पेड़ों का पटट्ा उचित नहीं है।

8- हालांकि यह दशा अपना ली जाये कि बाग़ की भूमि को उसके पेड़ों के साथ किराये पर ले लिया जाये तो यह उचित है।

9- फुलवारियों के क्रय-विक्रय में उचित यह है कि फल जब तक खाने के योग्य न हो जायें, इसका अनुबन्धन न किया जाये।

☆☆☆

---

**नोटः** 29 वां फ़िक्ही सेमीनार 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0 अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद।